संख्या- 135 /2025/ 1016 /चार-2025-1890272

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2025**

विषय:- सनातन गर्व - महाकुम्भ पर्व के अवसर पर महाकुम्भ-2025 के आयोजन में प्रयागराज में मेलाधिकारी द्वारा निर्मित कराये गये वृहद मंचों पर कलाकारों की मांग के अनुसार अतिरिक्त लाईट एवं साउण्ड की व्यवस्था पर हुए वास्तविक व्यय प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 6047/सं0नि0-15(79)/2024-25 दिनांक 24 मार्च, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि महाकुम्भ-2025 के आयोजन में प्रयागराज में मेलाधिकारी द्वारा निर्मित कराये गये वृहद मंचों पर कलाकारों की मांग के अनुसार अतिरिक्त लाईट एवं साउण्ड की व्यवस्था पर कुल रू0 9,01,44,140/- (जी.एस.टी. सहित) का वास्तविक व्यय हुआ है। शासनादेश संख्या-36/2025/334/चार-2025-1890272, दिनांक 22.01.2025 द्वारा रू0 500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के क्रम में रू0 4,64,45,602/- के भुगतान की कार्यवाही कर दी गयी है एवं अब रू0 35,54,398.00 की धनराशि शेष है। कार्यक्रम पर हुए वास्तविक व्यय धनराशि रू0 9,01,44,140/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 4,36,98,538/- का भुगतान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। महाकुम्भ-2025 प्रयागराज में उक्त वृहद मंचो पर हुए अतिरिक्त व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

मे0 मीम प्रोडक्शन, लखनऊ						
क्र.	**मंच का विवरण**	**बिल संख्या**	**धनराशि**	**GST**	**GST**	**कुल धनराशि**
1	गंगा मंच	24-25/23	24581060	2212295.40	2212295.40	29005650.80
2	यमुना मंच	24-25/23A	32588800	293299.20	293299.20	3845478.40
3	सरस्वती मंत्र	24-25/23B	3015680	271411.20	271411.20	3558502.40
4	त्रिवेणी मंच	24-25/23C	389760	350528.40	350528.40	4595816.80
5	आगमन मंच	24-25/23D	2282280	205405.20	205405.20	2693091.40
योग-			62857580	3332939.4	3332939.4	43698539.8
कुल योग (रूपये चार करोड़ छत्तीस लाख अट्ठान्वे हजार पॉच सौ चालीस मात्र)-						43698540.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार सनातन गर्व - महाकुम्भ पर्व के अवसर पर प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में निर्मित 04 वृहद मंच तथा यू0पी0एस0टी0डी0सी0 टेण्ट सिटी में निर्मित आगमन मंच पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले ख्यातिलब्ध/विशिष्ट कलाकारों की मांग पर अतिरिक्त लाईट एवं साउण्ड की व्यवस्था पर पूर्व में उक्त शासनादेश दिनांक 22.01.2025 द्वारा स्वीकृत रू0 500.00 लाख के सापेक्ष हुए अतिरिक्त व्यय **रु0 4,01,44,140/-(चार करोड़ एक लाख चौवालीस हजार एक सौ चालीस मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

3. शर्तें / प्रतिबन्ध:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(7) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-57/18-1-2024-97 (ल0उ0) /2016 दिनांक 26, नवम्बर, 2024 द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ-2025-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या - 135 /2025 / 1016 (1)/चार-2025-1890272 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in